हिंदी का प्रयोग

*२३७८. **श्री पी० एल० बारुपाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस विभाग में सब काम उर्दू में किया जाता है, जब कि पुलिस विभाग के अधिकांश कर्मचारी हिन्दी जानते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि कामकाज में उर्दू का प्रयोग करने के कारण अन्य भाषा (हिन्दी) जानने वाले लोगों के साथ अन्याय किया जाता है; और

(ग) क्या यह सच है कि जब पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो पुलिस पदाधिकारी उर्दू में कुछ का कुछ लिखने के बाद उस पर सम्बन्धित व्यक्ति के जो नहीं जानता कि उसके नाम से उर्दू में क्या लिख दिया गया है, हस्ताक्षर करवा लेता है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) . जहां तक सरकार की जानकारी है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा है । जब कभी कोई रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है तो उस पर हस्ताक्षर लेने से पूर्व वह सम्बन्धित व्यक्ति को पढ़ कर सुना दी जाती है और इसके लिये उस रिपोर्ट को प्रमाणित भी कर दिया जाता है ।

श्री पी० एल० बारुपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि हिंदी न जानने वाले पुलिस अधिकारियों को हिंदी की शिक्षा देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

पंडित जी० बी० पंत : जी हा, काफी लोग हिंदी जानते हैं और बाकी जितने हैं उनको भी हिंदी सिखाने का यत्न किया जा रहा है ।

Shri Radha Raman: May I know whether Government will consider the feasibility of issuing instructions to the Delhi Police to the effect that first information recorded in their office notes is in the language which the person concerned knows, and not in any other language?

Pandit G. B. Pant: I am not aware of any case in which a person is reported to have wanted his report to be recorded in a particular language and he has been denied that facility.

पंडित डी० एन० तिवारी : जबकि काफी लोग हिंदी जानते हैं और बहुत से हिंदी सीख रहे हैं तो क्या कारण है कि फर्स्ट इनफर्मेशन रिपोर्ट तथा दूसरी चीजें उर्दू में लिखी जाती है ?

पंडित जी० बी० पंत : यहां अदालतों का काम सब उर्दू में होता है और पुलिस के जो कागजात होते हैं वे आम तौर पर अदालतों के इस्तेमाल के लिए ही तैयार किए जाते हैं ।

Shri Kelappan: With reference to the answer to part (a) of the question, may I know how work is being done in other departments?

Pandit G. B. Pant: The question relates to the Delhi Police department and the answer is confined to that.

Shri Kelappan: Is it because Urdu is the regional language that it is being carried on in Urdu?

Pandit G. B. Pant: I know this much, that work in the Police department is conducted in Urdu, so far as police papers are concerned. I do not think that any regional language has been formally declared for the purpose.

Shri Kelappan: Will Government consider the question of switching over to Hindi?

Mr. Speaker: It is a suggestion of the hon. Member—giving up Urdu in favour of Hindi.

Pandit G. B. Pant: That will be considered.

Backward Classes Commission's Report

***2379. Shri M. L. Agrawal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether the report of the Backward Classes Commission will be circulated among the Members of Parliament at least 15 days before the Bill is taken into consideration in view of the introduction in the Lok Sabha of, "The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Bill, 1956"?

The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant): It is hoped that the report will be laid on the Table of the House before the Bill is taken into consideration.